रंजन महली
बनाम
जगदीश महली

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार–एस० ए० आर० अपील वाद संख्या–65 आर0 15/2018.19

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई, कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित

13/12/23

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित हैं। दोनो पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

यह अपील वाद एस.ए.आर. वाद संख्या–7/2012–13 में न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है। विवादित खाता नं0–174, प्लॉट–566, रकबा–07 डिसमील जो मौजा–राजाडेरा, थाना–अनगड़ा, थाना नं0–48 जिला–राँची में स्थित है। खाता नं0–174, रिभिजनल सर्वे में मरचाई महली पिता मंगरा महली के नाम से दर्ज है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मरचाई महली, पिता मंगरा महली ने खाता नं0–174, प्लॉट नं0–566 रकवा 7 डिसमील, प्लॉट नं0–565 रकवा 3 डिसमील, प्लॉट नं0–567 रकवा 21 डिसभील, प्लॉट नं0–568 रकवा 2 डिसमील कुल रकवा 33 डिसगील जमीन को रजिस्ट्री इस्तीफा जींदार शेख सेखावत पिता वाहिद अली को किया, जिसका बुक नं0–1, भोल्युम नं0–33, पेज नं0–568 से 579, दस्तावेज नं0–5479 वर्ष 1949 है। रजिस्ट्री इस्तीफा के पश्चात् जमीन का रूप परिवर्तित हो गया। जमींदार शेख सेखावत ने इस्तीफा प्राप्ति के पश्चात् उपरोक्त

खतियानी रैयत के वारिस जगदीश महली ने जमीन वापसी को केस धारा 71"A" छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट के अर्न्तगत उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर के न्यायालय में मुबारक अंसारी के विरूद्ध केस कर दिया। मुबारक अंसारी ने एस. ए. आर केस नं0–7/2012–13 में उपस्थित होकर अपना जबाव दाखिल किया और अपने जबाव में यह कहा कि हम खाता नं0–174 प्लॉट नं0–566, रकवा 7 डिसमील जमीन पर बना मकान में मैं, रंजन महली का किरायेदार है और मासिक किराया का भुगतान रंजन महली को देते आ रहें हैं। जब रंजन महली को पता चला कि हमारे जमीन पर जमीन वापसी का केस एस. ए.आर केस नं0–7/2012–13 दाखिल हुआ है तो रंजन महली ने पक्षकार बनने के लिए आवदेन दाखिल किया, जिसको सुनवाई के पश्चात् रंजन महली को पक्षकार बना दिया गया। नया सर्वे में भी बन्डा पर्चा में रंजन महली के दादा प्रधान महली के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत का वारिसान उसमें (बन्डा पर्चा) में भी कोई आपति नहीं किया।

खतियानी रैयत या उनका वारिसान करीब 60–62 साल में बेदखल हैं उसके बाद खतियानी रैयत के वारिस जगदीश महली ने जमीन वापसी का केस किया जो काल बाधित है।

सरकार के द्वारा धारा 71"A" सी.एन.टी. एक्ट के अन्तर्गत एक सर्कुलर 1974 में आया, जिसके अनुसार 8.2.1969 से यह विनियम लागु किया गया है। उसकी समय से लागु होगा न कि पूर्व से, यह सर्कुलर के अनुसार सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया क 8.2.1969 के पूर्व यदि 12 वर्षों का अवधि पार कर गया है तो 30 वर्ष का काल अवरोध लागु नहीं होगा, यदि 11 वर्ष बीता है तो उसमें 19 वर्ष का विस्तार हो जायेगा। इस सर्कुलर आने के पूर्व ही खाता नं0–174 के खतियानी रैयत या उसके वंशज 1949 से ही जमीन से बेदखल हो गये थे जिसका समय करीब 20 वर्ष है। इसलिए खयितानी रैयत का किसी प्रकार का जमीन वापसी केस

पुशवा महली का कब्जा एवं वर्तमान में पंजी–02 का परपोता–रंजन महली, पिता–स्व0 श्यामा महली का दखल है, तथा उक्त खेसरा पर बने मकान में किराया लगा कर 1200 रूपेये प्रति माह के दर मुबारक अंसारी को किराया पर दिये है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा मुबारक अंसारी पिता–स्व0 जहुर अंसारी ग्राम–राजाडेरा को ही पक्षकार मानते हुए एस.ए.आर. वाद संख्या–7/2012–13 में आदेश पारित किया गया है। जबकी अंचलाधिकारी अनगडा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्लॉट पर पंजी–2 रैयत पुशवा महली का कब्जा एवं वर्तमान में पंजी–02 का परपोता–रंजन महली, पिता–स्व0 श्यामा महली का दखल है, तथा उक्त खेसरा पर बने मकान में किराया लगा कर 1200 रूपेये प्रति माह के दर मुबारक अंसारी को किराया पर दिये है। इस वाद से संबंधित रंजन महली, पिता–स्व0 श्यामा महली का पक्ष नहीं सुना गया है।

अतः न्यायहित में वाद एस.ए.आर. वाद संख्या–7/2012–13 में दिनांक 17.08.2016 को पारित आदेश निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची में प्रतिप्रेषित (Remand Back) किया जाता है। निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि सभी पक्षों को पर्याप्त अवसर देते हुए सुनवाई कर विधि–सम्मत आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

13/12/23
अपर समाहर्त्ता
राँची।

13/12/23
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

ज्ञापांक : 6579(II)/RTC दिनांक : 14/12/23
प्रतिलिपि : उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, राँची को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mail Send
18/12/23

14/12/23
अपर समाहर्त्ता
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:42:21 +05:30
Location: 192.168.2.175